

होगा। जिसमें उस प्रयोजन के लिए सम्पक करना होगा जो निविदा दाता व्यवसाय में नये प्रावेष्ट हुए हैं, उन्हें बैकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(18) ठण्डी वर्दी कोट,पेन्ट बनाया जाना है जिनके लिए ट्रेड मार्क के कपडे का सेम्पल साथ में लगाना होगा। जिस पर निविदा दाता का नाम अंकित करना होगा।

(19) ठण्डी वर्दी कम्पलीट कपडे सिलाई मोनोग्रम बेल्ट आदि सहित नियत अवधि में देनी होगी। नियत अवधि में नहीं देने पर जी.एफ.एण्ड.आर.के नियमानुसार राशि वसुल होगी।

(20) निविदा दाता अपनी निहित तिथि (समय अवधि) में देने में असमर्थ होने पर उनके द्वारा प्राधिकारी को आवेदन करना होगा जिस पर विचार किया जायेगा। बढ़ायी गयी अवधि में वर्दी पूर्ण कर देनी अनिवार्य होगी।

(21) जी.एफ.एण्ड आर रूल्स की समस्त शर्तें मान्य रहेगी।

(22) वर्दी का ट्राईल (फिटनेश) इत्यादि हेतु संस्था में ही संबधित निविदादाता द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(23) उक्त निविदा में वर्णित सेवा बेण्ड वर्दी कार्य का पूर्ण भुगतान संस्था द्वारा गठित कमेटी द्वारा संतोषपत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

(24) समस्त शर्तों के अन्तर्गत पूर्ण (समस्त आर्टिकल सहित) निविदा स्वीकृति के 1 माह के अन्तर्गत पूर्ण करना आवश्यक होगा। अवधि बढ़ाने हेतु कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(25) शर्तों उल्लघन पर निविदादाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(M)

कमाण्डेन्ट

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल,

खेरवाडा

(21) वर्दी  
(22) वर्दी  
(23) वर्दी  
(24) वर्दी  
(25) वर्दी